बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 1 अप्रील 1982 ई०

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या	1–21
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या (423) प्रश्न एवं व्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द) 424,425, 970 (पूरक के लिए स्थगित) 973,974,975 977, 979 980,981	
अतारांकित प्रश्नों की संख्या–983, 984, 985, 1003, 1049 एवं 1071)	21–27
परिशिष्ट–(प्रश्नों के लिखित उत्तर)—	28–56
दैनिक निबंध ।	57–58

टिप्पणी—कीन्हीं माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके भाषण संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री अजीत सरकार — अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खंड-2 के उत्तर में बतलाया कि निधि उपलब्ध होने पर व्यवस्था हो जायगी, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि राशि कबतक उपलब्ध हो जायगी और पानी की व्यवस्था कब तक हो जयेगी।

श्री बुद्धदेव सिंह (मंत्री) — अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया शहर में हर मुहल्ले में पानी की व्यवस्था पहले से है। दिक्कत यह है कि इधर पूर्णिया शहर की आबादी बढ़ने से कुछ नये मुहल्ले होने से वहां पर अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से कठिनाई है। इसके लिये हमलोग अधिक पानी दिलाने हेतु योजना तैयार कर रहे हैं।

श्री अजीत सरकार--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि पूर्णिया में पेयजल की व्यवस्था है। लेकिन मैं इसको चैलेंज करता हूं। इसकी जांच करायी जाये। यदि मेरी बात सही नहीं होगी तो मैं इस्तिफा दे दूंगा।

सम्पत्ति की जांच की व्यवस्था।

*975. श्री श्रीनारायण यादव एवं श्री वृष्णि पटेल—क्या मंत्री, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आपूर्त्ति निरीक्षक श्री राम रतन चौधरी बेगुसराय जिला में विगत 6 वर्षों से और तेघड़ा प्रखंड में चार वर्षों से पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि ये बारह वर्ष से भी अधिक समय से उत्तर बिहार के हाजीपुर से बेगुसराय के बीच कार्यरत रहे हैं और विगत एक वर्ष के अन्दर इनका स्थानान्तरण क्रमशः पलामु, छोटानागपुर तथा अन्य जगहों में हुआ परन्तु इन्होंने वहां अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया;

(3) क्या यह बात सही है कि जब ये आपूर्त्ति निरीक्षक के रूप में बछवाड़ा एवं जन्दाहा प्रखंड में पदस्थापित थे तो भ्रष्टाचार के अभियोग में निलम्बित किए जा चुके हैं;

(4) क्या यह बात सही है कि इन्होंने समस्तीपुर जिलान्तर्गत अपने गांव शाहपुर पटोरी एवं शाहपुर उण्डी में आलीशान मकान बनवाया है तथा काफी जमीन खरीदी है;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उनका स्थानान्तरण दक्षिणी बिहार में कर उनकी चल-अचल सम्पत्ति की जांच करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

श्री कुमुद रंजन झा (उप-मंत्री)—(1) श्री रामरतन चौधरी, आपूर्त्ति निरीक्षक, बेगुसराय जिला में जनवरी, 1976 तथा तेघड़ा प्रखण्ड में 1 सितम्बर, 1978 से पदस्थापित हैं।

(2) श्री चौधरी, आपूर्त्ति निरीक्षक, मुजफ्फरपुर में नवम्बर, 1967 से नवम्बर, 1970 तक मुंगेर जिला में दिसम्बर, 1978 से दिसम्बर, 1971 तक दरभंगा में जनवरी, 1972 से सितम्बर 1973 तक, समस्तीपुर में सितम्बर, 1973 से सितम्बर 1976 तक, बेगुसराय जिला में 1 जनवरी, 1976 से अभी तक पदस्थापित रहे हैं। श्री चौधरी का स्थानान्तरण पलामू जिला में नहीं बल्कि जुलाई, 1981 में तिरहुत प्रमण्डल में किया गया है इसलिए पलामू में श्री चौधरी का योगदान देने एवं कार्यभार ग्रहण करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर यह सत्य प्रतीत नहीं होता है।

(4) इसकी जांच विभागीय स्तर से आरक्षी उपाधीक्षक (खाद), बिहार, पटना से करायी गयी। जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि श्री चौधरी, आपूर्त्ति निरीक्षक का शाहपुर पटोरी एवं शाहपुर उन्डी में आलीशान मकान बनाने तथा काफी जमीन खरीदने का जहां तक प्रश्न है स्थानीय जांच के आधार पर बिल्कुल असत्य प्रतीत होता है।

(5) श्री चौधरी, आपूर्त्ति निरीक्षक का स्थानान्तरण जुलाई, 1981 में ही कर दिया गया है जो मार्च, 1982 तक स्थगित है। पहली अप्रील, 1982 को ये स्वतः विरमित समझे जायेंगे। इसी आशय का आदेश निर्गत किया जा चुका है। जहां तक उनकी चल अचल सम्पत्ति की जांच कराने का प्रश्न है, उसकी जांच करा ली गयी है और उत्तर प्रश्नोत्तर के खण्ड (4) में दे दिया गया है। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री श्रीनारायण यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि श्री चौधरी बारह वर्षों से उत्तर बिहार में कार्यरत हैं तो फिर उनको उत्तर बिहार में रखने का क्या औचित्य है ?

श्री लहटन चौधरी--उनका स्थानान्तरण हो चुका है । पहली अप्रील, 1982 को ये स्वत: विरमित समझे जायेंगे इस तरह का आदेश निर्गत हो चुका है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 976 के सम्बन्ध में

श्री मिश्री सदा—अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो तैयार है, लेकिन वह सन्तोषजनक नहीं है । इसलिए कि निदेशक और क्षेत्रीय निदेशक के जवाब में कंट्राडिक्शन है । इसलिये इसकी जांच करके सदन को अवगत करा दूंगा ।

अध्यक्ष—इसके बाद तो अगली तिथि है । आप ऐसा कीजिये कि इस बीच आपके पास जो रिपोर्ट आये उसको वितरीत करा दें ।

आपूर्त्ति निरीक्षक का स्थानान्तरण

*977. श्री मुंशीलाल राय—क्या मंत्री, खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 12 सितम्बर, 1981 को उपमंत्री आपूर्त्ति विभाग एवं 15 सितम्बर, 1981 को समाहर्त्ता वैशाली जिलान्तर्गत सहदेई प्रखंड के आपूर्त्ति निरीक्षक श्री आदित्य नारायण के विरूद्ध चार गम्भीर आरोपों से संबंधित पत्र लिखा था ।

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 12 सितम्बर, 1981 को आपूर्त्ति उपमंत्री ने उप-आपूर्त्ति निरीक्षक के विरूद्ध समाहर्त्ता द्वारा जांच कराने एवं उन्हे अन्यत्र स्थानान्तरित करने का आदेश दिया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि समाहर्त्ता वैशाली ने भी आरोपों को सही पाकर उक्त आपूर्त्ति निरीक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 14 अक्टूबर, 1981 को कर दिया।

(4) क्या यह बात सही है कि दिनांक 18 दिसम्बर, 1981 को उक्त आपूर्त्ति निरीक्षक के स्थानान्तरण आदेश को समाहर्त्ता वैशाली के विरोध के बावजूद स्थगित कर दिया गया ;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इस स्थगन आदेश के लिये किसे दोषी मानती है तथा कबतक उक्त आपूर्त्ति निरीक्षक के स्थानान्तरण करने का विचार उक्त प्रखंड से रखती है ?